

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट MUMBAI PORT TRUST

बंदरगाह जलयान लाइसंस

HARBOUR CRAFT LICENCE

(भारतीय पत्तन ऐक्ट के अंतर्गत जारी)

(Issued under Indian Ports Act)

	- SEN
101	MIC
SPECI	

DEPUTY CONSERVATOR

भनु. क्र.	(Issued under India		लाइसंस क्रमांक :	
Serial No.			Licence No.	
जैसाकि	ने		के लिए एक लाइसस	हेतू आवेदन किर
उसका विकरण विकास अकार त है.				
WHERE AS			has applie	ed for a licer
or ao	f which particulars are			
	जुलयान का			
	PARTICULARS	OF CRAFT		
नार्का एवं वर्णन संख्या :-	ं जल	यान का नाम :-		
Branded and Registration No.:	Na	ime of Cran .		
पत्तन का :- असमिक्य के बाली सकता करा।	कुर	र टन :	लंबाई :-	चौडाई :-
Of the Port of	1	ross Ton :		
प्रकार : प्लेजर जलयान / काटामारान / स्वच	वालित बार्ज / डंब बार्ज / ड	टग /		
Type: Pleasure Craft / Catamaran / S		The state of the s	ug /	
			nange at particular	3 182
Hull Material :		lour of Hull:		
	मालिक का		-	
	OWNERS D			
नाम:			V San red in the Second	10011
		विन संख्या (Office)) oliqeasi antime)	
	10	TNOS (WIODIIC	,	
पत्ता :- Address :				
Address .	7910 501 10 10 10 10 50	asponsione to the	THE THE PERSON	
31 मार्च 20 तक के लिए जा	ारी ला	इसंस	तक के लिए	ध
Issued for the year ending 31st March		Licence is valid upto		
अनु. क्र. पृष्ठ संख्याः			तक विस्तारि	
Sr. No. Page No.		tended upto		
उप संरक्षक का कार्यालय :				
Deputy Conservator's office				
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				,
			उप सरक्षव	
			DEPUTY CONSE	RVATOR
			- 2 - 2 - 2	
नुतनीकरण ३। मार्च २० तक		लाइसंस तक के लिए वैध		
Danamad for the man - line 21 . 14	ch 20 Lic	cense is valid upt		
		तक विस्तारित Extended upto		
Renewed for the year ending 31st Mar अनु. क्र. पृष्ठ संख्याः Sr. No. Page No.				

- लाइसंस धारक द्वारा नियमों एवं विनियमों का पालन होगा. नियम भंग करने पर प्रावधानों के अंतर्गत दंड के पात्र होंगे.
 Rules and Regulations to be observed by the Licensee. Any breach will render you liable to penalty provided for the offence.
- यह लाइसंस जलपान पर जहाँ कही भी संभव हो एक विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए और यदि संभव न हो तो भी हमेशा यह जलपान पर उपलब्ध होना चाहिए.

Where ever possible this Licesence to be displayed at a prominent place of the craft, In any case to be on board the craft all the time.

- प्रत्येक साल 1 अप्रैल के पश्चात तत्काल इस लाइसंस का नूतनीकरण किया जाना चाहिए.
 To be renewed immediately after 1st April each year.
- बिना लाइसंस धारक मास्टर/सारंग/तिंडल के जलयान को बंदरगाह में नही चलाया जा सकता.

 The craft shall not be plied in the Harbour without a licensed Master / Syrang / Tindal as applicable.
- इस विभाग की अनुमित प्राप्त किए बिना (जोकि उसमें पृष्टांकित होगा) यह लाइसंस अहस्तांतरणीय है.

 This license is not transferable without first obtaining sanction from this department which shall be duly endorsed therin.
- किसी भी बदलाव को तत्काल अधिसूचित किया जाय अन्यथा यह लाइसंस निरस्त होगा.

 Any change in particulars should be notified immediately or else this license is null and void.
- लाइसंस जिस उददेश्य के लिए जारी किया गया है उसी उददेश्य के लिए उसका उपयोग हो. जारीकर्ता प्राधिकरण के स्पष्ट अनुमितके बिना किसी अन्य गतिविधी के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता.

 Licensee shall operate only for purpose for which license has been issued and not for any activity without explicit premisssion of the Licensing authority.
- लाइसंस धारक जलयान के क्रू के साथ अन्य सदस्यों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होंगे.
 Licensee shall be fully responsible for the safety of the crew and other occupants of his craft.

olguvada y . vabakuplo		Conding 3 lst March 2	MATERIAL DESIGNATION
ENDORSI	EMENTS		
,		2021 39HT	
		year ending Mar Marc	